

08 $\frac{7}{25}$

अपीलांत के अधिवक्ता अनु० अधिवक्ता
अपीलांत को रेसपो. की तलबी वास्ते
शाबिका आदेश की पालना नहीं की गई
इस हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिया
जा चुका है लिहाजा अपीलांत में
यह अपील अदम पैरवी एवं अदम न्यायालय
पालना आदेश में खारेज भी जाती है
पत्रावली फेंसल शुमार होकर नंबर से
कम हो एवं कारखिल दफ्तर हो


अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)